

इसे वेबसाइट www.govt_press.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 9]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 28 फरवरी 2025—फाल्गुन 9, शक 1946

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

मैं, जवाहर राजपूत आत्मज श्री फूलसिंह निवासी— बीच मोहल्ला बरखेड़ा हसन अहमदपुर सीहोर, मेरी पुत्री साधना लोधी है जिसके आधार कार्ड में उसका नाम संध्या अंकित है किन्तु मेरी पुत्री के अन्य दस्तावेजों के अनुसार उसका सही नाम साधना लोधी अंकित है। प्रकाशन उपरांत इसी नाम से जानी, पहचानी एवं दर्ज किया जावे।

प्रार्थी

(जवाहर राजपूत).

(G-767)

नाम परिवर्तन

मैं, ओम प्रकाश मालवीय पुत्र श्री बगदी राम, निवासी—म.नं. 6, श्रीराम विला, पूर्वान्वल फैस 2 के पीछे, खजूरीकलां, पिपलानी, भोपाल, (म.प्र.). मेरी पुत्री के आधार कार्ड पर महिका नाम दर्ज है, जिसे बदलकर आध्या मालवीय (AADHYA MALVIYA) नाम दर्ज करवाना चाहता हूँ। अतः राजपत्र में प्रकाशन उपरांत भविष्य में मेरी पुत्री के सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय एवं समस्त दस्तावेजों में सही नाम आध्या मालवीय (AADHYA MALVIYA) से जाना पहचाना—व लिखा, पढ़ा एवं दर्ज किया जावे।

प्रार्थी

(ओम प्रकाश मालवीय).

(G-768)

नाम परिवर्तन

मैं, जितेन्द्र सिंह, निवासी—मकान नंबर 137 ग्राम अतरालिया, तहसील आष्टा, जिला सीहोर (म.प्र.). मेरी पुत्री के शैक्षणिक रिकार्ड, जन्म प्रमाण—पत्र में नाम अल्पना है, परन्तु उसके आधार कार्ड में त्रुटिवश इशिका (Ishika) दर्ज है। मैं, अपनी पुत्री का आधार कार्ड में सही नाम अल्पना दर्ज कराना चाहता हूँ, प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री को अल्पना के नाम से जाना—पहचाना पढ़ा, लिखा एवं दर्ज किया जावे।

आवेदक

(जितेन्द्र सिंह).

(G-769)

नाम परिवर्तन

मैं, देवकुमार लोधी (DEVKUMAR LODHI) पुत्र श्री हजरतसिंह लोधी निवासी—ग्राम कंचनपुर पोस्ट पिपरो, तहसील पिछोर, जिला शिवपुरी (म.प्र.), सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि रुद्रप्रताप लोधी (RUDRAPRATAP LODHI) मेरा पुत्र है जिसके समस्त शासकीय एवं शैक्षणिक दस्तावेजों में उसका नाम रुद्रप्रताप लोधी दर्ज है। जबकि उसके आधार कार्ड में प्रिंस लोधी दर्ज है जो गलत है, यह कि रुद्रप्रताप लोधी एवं प्रिंस लोधी दोनों नाम मेरे पुत्र के ही हैं। भविष्य में मेरे पुत्र को रुद्रप्रताप लोधी (RUDRAPRATAP LODHI) के नाम से जाना एवं पहचाना जाए।

आवेदक

(देवकुमार लोधी)

(G-770)

पुत्र— हजरत सिंह लोधी।

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण हेतु सूचित हो कि मैं, शिव नारायण आ. श्री बहादुर सिंह नि. खाण्डावर तह. बाड़ी, जिला रायसेन (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम अल्फेज अंकित हो गया है जो गलत है। जबकि वास्तविक नाम ब्रजेश चौहान आ. शिव नारायण है जो कि सही एवं सत्य है। अतः भविष्य में भी मेरे पुत्र को सही नाम से ब्रजेश चौहान आ. शिव नारायण से ही जाना एवं पहचाना जावे।

आवेदक

(शिव नारायण)

(G-771)

आ.— श्री बहादुर सिंह।

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, निकुंज पुरोहित पिता मनीष पुरोहित, माता राजकुमारी पुरोहित है जो वार्ड क्रमांक 13 सावरकर मार्ग खातेगांव, जिला देवास (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में प्रियांशु पिता मनीष कुमार पुरोहित गलत लिखा गया है, मेरा नाम निकुंज पिता मनीष पुरोहित है जो जन्म प्रमाण—पत्र तथा शैक्षणिक दस्तावेजों में लिखा गया है। प्रकाशन उपरांत मुझे निकुंज पिता मनीष पुरोहित के नाम से समस्त शासकीय, अशासकीय दस्तावेजों में लिखा, पढ़ा एवं दर्ज किया जावे।

आवेदक

(निकुंज पुरोहित)

(G-772)

पता—183, नेमावर रोड, खातेगांव,
जिला देवास (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, स्वप्निल राजेन्द्र जयस्वाल पुत्र राजेन्द्र जयस्वाल निवासी— आर 141, कनक एवेन्यु एम.आर.—11, लसुड़िया मोरी, इन्दौर (म.प्र.). यह कि पूर्व में मेरे पुत्र का नाम आरिव जयस्वाल था जो आधार कार्ड में अंकित है. जिसे अब बदलकर मेरे पुत्र का नाम अकाय जयस्वाल हो गया है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र को उसके सही नाम अकाय जयस्वाल पुत्र स्वप्निल राजेन्द्र जयस्वाल के नाम से जाना—पहचाना एवं लिखा, पढ़ा दर्ज किया जावे.

आवेदक

(G-773)

(स्वप्निल राजेन्द्र जयस्वाल).

नाम परिवर्तन

मैं, प्रियंक जैन आत्मज स्व. श्री पवन कुमार जैन, स्थायी निवासी— मकान नम्बर-01, वार्ड नंबर-04, पुराना बाजार, मुंगावली, जिला अशोक नगर (म.प्र.). यह कि मेरी पुत्री कु. गौरवी जैन (GAURAVI JAIN) यह कि मेरी पुत्री के जन्म प्रमाण—पत्र, आधार कार्ड में नाम जैनिशा जैन त्रुटिवश गलत अंकित हो गया है, जबकि मेरी पुत्री का सही, सत्य व वास्तविक नाम गौरवी जैन (GAURAVI JAIN) है. अतः भविष्य में मेरी पुत्री को गौरवी जैन (GAURAVI JAIN) के नाम से जाना व पहचाना पढ़ा, लिखा एवं दर्ज किया जावे.

आवेदक

(प्रियंक जैन)

पिता— स्व. श्री पवन कुमार जैन.

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, जगदीश वर्मा पुत्र हेमराज वर्मा निवासी— वार्ड क्र. 14, खेड़ीपुरा तहसील इछावर जिला सीहोर (म.प्र.). यह कि मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम कनक वर्मा पुत्र जगदीश वर्मा अंकित हो गया है जो कि गलत है जबकि उसका सही नाम आयुष वर्मा पुत्र जगदीश वर्मा है जो कि सही एवं सत्य है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र को उसके सही नाम आयुष वर्मा पुत्र जगदीश वर्मा के नाम से जाना—पहचाना एवं लिखा, पढ़ा दर्ज किया जावे.

आवेदक

(जगदीश वर्मा)

(JAGDISH VERMA).

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित हो कि मेरे पुत्र का वास्तविक नाम रोशन सेन (Roshan sen) है और यही नाम मेरे पुत्र के शैक्षणिक दस्तावेजों में दर्ज है एवं मेरे पुत्र का घर का बचपन का पुकारे जाने वाला नाम अंश सेन है जो कि उसके आधार कार्ड पर दर्ज है. रोशन सेन (Roshan sen) एवं अंश सेन दोनों ही नाम मेरे पुत्र के हैं. अतः मेरे पुत्र को वर्तमान एवं भविष्य में उसके वास्तविक नाम रोशन सेन (Roshan sen) के नाम से जाना व पहचाना जाये.

आवेदक

(G-776)

(रामबाबू सेन)
पता— 37, बालाजी एनक्लेव अरण्डिया,
सांवर, इन्दौर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, प्रमोद व्यास पिता रख. कैलाश नारायण जी व्यास निवासी— उचोद हाल निवासी शुजालपुर मंडी, जिला शाजापुर (म.प्र.). यह कि मेरे पुत्र के आधार कार्ड पर त्रुटिवश प्रतीक व्यास नाम दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, जबकि मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण—पत्र एवं शैक्षिक दस्तावेजों पर प्रणव व्यास (Pranav Vyas) नाम दर्ज है जो कि सही है, अतः प्रकाशन उपरांत भविष्य में मेरे पुत्र के सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय समस्त दस्तावेजों में सही नाम प्रणव व्यास (Pranav Vyas) से जाना पहचाना व लिखा, पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

आवेदक

(G-777)

(प्रमोद व्यास)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, सुनील कुमार काटे मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम दश सुनिल काटे (DASH SUNIL KATE) गलत अंकित हो गया है, अतः मेरे पुत्र का वास्तविक और सही नाम दक्ष सुनिल कुमार काटे (DAKSH SUNIL KUMAR KATE) है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र के सही नाम दक्ष सुनिल कुमार काटे (DAKSH SUNIL KUMAR KATE) के नाम से सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में लिखा—पढ़ा एवं दर्ज किया जाए.

प्रार्थी

(पिता—सुनील कुमार काटे)

निवासी— मकान नं.—2 / 27,

एकतापुरी कॉलोनी, इकबाल
कॉलोनी के पास, इंडस्ट्रियल एरिया,
गोविन्दपुरा, भोपाल (म.प्र.)

(G-778)

नाम परिवर्तन

मैं, नरेन्द्र कुमार उईके, निवासी— मुकाम पोस्ट घोघरी, तहसील अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा, (म.प्र.). यह कि मेरी पुत्री के शैक्षिक दस्तावेजों पर त्रुटिवश आकृति नरेन्द्र कुमार उईके नाम दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, जबकि उसके जन्म प्रमाण—पत्र और आधार कार्ड में आकृति उईके (AAKRITHI UIKEY) नाम दर्ज है कि सही है, अतः प्रकाशन उपरांत भविष्य में मेरी पुत्री के सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय एवं समस्त दस्तावेजों में सही नाम आकृति उईके (AAKRITHI UIKEY) से जाना—पहचाना व लिखा, पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

प्रार्थी

(G-779)

(नरेन्द्र कुमार उईके)

नाम परिवर्तन

मैं, इरम कुरैशी पति फरहान कुरैशी निवासी— प्लाट नं. 31, कबाड़खाना भोपाल (म.प्र.). यह कि मेरी पुत्री का पूर्व नाम लाइबा कुरैशी (Laiba Quraishi) था जिसे बदलकर अब नविया कुरैशी करवाना चाहती हूँ. अतः प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री को उसके सही नाम नविया कुरैशी (Nabiya Qureshi) पुत्री फरहान कुरैशी (Farhan Qureshi) के नाम से जाना—पहचाना एवं लिखा, पढ़ा दर्ज किया जावे.

आवेदिका

(फरहान कुरैशी)

(FARHAN QURESHI)

(G-780)

नाम परिवर्तन

मैं, दीनदयाल आत्मज अनोखीलाल निवासी—ग्राम पाटन तहसील दोराहा, जिला सीहोर (म.प्र.). सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरी पुत्री जया का नाम आधार कार्ड में दिव्या दर्ज हो गया है। जबकि मेरी पुत्री का सही नाम जया है जो कि सत्य व सही है। अतः आधार कार्ड में मेरी पुत्री का सही नाम जया दर्ज किया जाये एवं भविष्य में मेरी पुत्री को जया नाम से जाना एवं पहचाना जाये।

प्रार्थी

(दीनदयाल)

(G-781)

CHANGE OF NAME

I, Vinay Kumar S/o Sagun Chandra Ahirwar, resident at 55-A Shraddha Nagar Bairagarh Kalan Bhopal, Madhya Pradesh. in my 10th and 12th class marksheet my father's Name is mentioned as Sagun Chandra, while his correct name is Sagun Chandra Ahirwar. Therefore, he should be known as Sagun Chandra Ahirwar in all documents.

Old Name

New Name

(SAGUN CHANDRA)

(SAGUN CHANDRA AHIRWAR).

(G-782)

नाम परिवर्तन

मैं, सरिता उझके पत्नी श्री देवेन्द्र कुमार उझके, निवासी— एल 3/1 पतांजलि परिसर, बीडीए. कॉलोनी, एयरपोर्ट रोड, गांधी नगर, वार्ड नं 01 भोपाल (म.प्र.). यह कि लक्ष्य उझके (LAKSHY UIKEY) मेरा पुत्र है उसका सही नाम लक्ष्य उझके (LAKSHY UIKEY) है एवं यही समस्त दस्तावेजों में दर्ज है एवं मेरा पुत्र भविष्य में इसी नाम से जाना व पहचाना जायेगा। मेरा पुत्र के आधार कार्ड में उसका नाम कान्हा उझके दर्ज है, जो कि ब्रिटिश दर्ज हो गया था। प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र को लक्ष्य उझके के नाम से जाना—पहचाना एवं पढ़ा, लिखा दर्ज किया जावे।

आवेदिका

(सरिता उझके)

पत्नी— श्री देवेन्द्र कुमार उझके।

(G-783)

नाम परिवर्तन

मैं, सत्येन्द्र कुमार पाठक आ. स्व. शेशधर पाठक, पता— Type-II Qtr No 10,180 BN BSF, Badarakha Camp, Parwaliya Sadak, Bhopal Madhya Pradesh का निवासी हूँ। मेरे पुत्र के नाम स्पेलिंग अंग्रेजी में आयुष पाठक (AAYUSH PATHAK) शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में नाम आयुष पाठक (AAYUSH PATHAK) है व अन्य शासकीय, अशासकीय दस्तावेजों में आयुष पाठक (AYUSH PATHAK) है। मेरे पुत्र का नाम आयुष पाठक (AAYUSH PATHAK) से अंग्रेजी में स्पेलिंग सही कर नाम आयुष पाठक (AYUSH PATHAK) के नाम से जाना—पहचाना जावे।

प्रार्थी

(सत्येन्द्र कुमार पाठक).

(G-784)

नाम परिवर्तन

मैं, आरती रजक पुत्री श्री ददुआ रजक व पत्नी श्री अशोक रजक, निवासी— मथुरा बरती, सिन्धी कैम्प सतना, तहसील रघुराजनगर, जिला सतना (म.प्र.). की निवासी हूँ, मेरा नाम आरती रजक है, मैं, अपने परिवार एवं घर में बेल्ली रजक के नाम से जानी जाती हूँ, आरती रजक (धोबी) व बेल्ली रजक (धोबी) दोनों मेरे ही नाम हैं. मेरे समस्त दस्तावेजों में आरती रजक नाम उल्लेखित है आगे से मुझे आरती रजक (धोबी) के नाम से लिखा, पढ़ा व जाना जावे.

आवेदिका

(आरती रजक)

(G-785)

पत्नी— श्री अशोक रजक.

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, ममता सिंह पति स्व. लक्ष्मण सिंह निवासी— ग्राम डांडी टोला पोस्ट जैतवारा तहसील कोठी, जिला सतना (म.प्र.). यह कि मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम उरमिला देवी अंकित हो गया है जो कि गलत है, जबकि मेरा सही नाम ममता सिंह पति स्व. लक्ष्मण सिंह है जो कि मेरे पति के सर्विस रिकार्ड, एवं अन्य दस्तावेजों में भी अंकित हैं. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे मेरे सही नाम ममता सिंह पति स्व. लक्ष्मण सिंह के नाम से जाना—पहचाना एवं लिखा, पढ़ा दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

नया नाम

(उरमिला देवी)

(ममता सिंह)

(Mamta Singh)

(G-786)

पति— स्व. श्री लक्ष्मण सिंह.

CHANGE OF NAME

It is for general information that I, PAWAN PARMAR son of HUKMICHAND PARMAR, residing at 107, Gram kankraj, Tehsil Badnawar, Distt. Dhar, Madhya Pradesh, Post Office- Panchakwasa 454660 declare that name my father has been wrongly written as HUKUMICHAND PARMAR in my 10th and 12th class Educational Documents. The actual name of my father is HUKMICHAND PARMAR, Which may be amended accordingly.

Applicant

(PAWAN PARMAR).

(G-787)

CHANGE OF NAME

It is for general information that I, FARDEEN SHAIKH son of ABDUL SHAKIL, residing at 3, Lakshmibai path, odichy Dharamshala ke samne, Badnagar, Distt. Ujjain, Madhya Pradesh, Badnagar-456771, declare that name of mine and my mother has been wrongly written as FARDEEN MIRDHA AND JAYADA. in my 10th and 12th class Educational Documents. The actual name of mine and my mother are FARDEEN SHAIKH and JAVIDA BI, Which may be amended accordingly.

Applicant

(FARDEEN SHAIKH).

(G-788)

नाम परिवर्तन

मैं, अजीत कुमार खत्री पुत्र स्व० श्री हेमन्त कुमार खत्री, मेरे कुछ शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा सरनेम परमानन्दानी अंकित है, जबकि मेरे कुछ शैक्षणिक / शासकीय दस्तावेजों में मेरी समाज / जाति— खत्री अंकित है अर्थात् पूरा नाम अजीत कुमार खत्री है, जो कि सही है, प्रकाशन के उपरान्त मुझे मेरे नये नाम अजीत कुमार खत्री से जाना व पहचाना एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(अजीत कुमार परमानन्दानी)	(अजीत कुमार खत्री)
पता— मकान नं. 298, कालीमाता जी मंदिर के पास, वन ट्री हिल, संत हिरदाराम नगर बैरागढ़, भोपाल (म.प्र.).	

(G-789)

आम सूचना

(NOTICE U/S. 72 OF THE PARTNERSHIP ACT, 1932)

Notice is hereby given that in the Partnership Firm M/S. Shri Kriti Developers Registered office at C-4, C-5 Shivkripa Nagar, Sajan Nagar Main Road Indore (M.P.) 452001 and Registration No is 03-27-01-0007-21 dated 6-4-2021, which was constituted vide Partnership deed executed on 25/05/2010. In this Partnership firm subsequently following changes have occurred on 15-1-2025, Now both (Shri Rakesh Garg and Shri Aditya Garg) running partners have agreed to shift the principal place (Business Address) of the firm From at C-4, C-5 Shivkripa Nagar, Sajan Nagar Main Road, Indore, (M.P.) 452001 To 17/2 Murai Mohalla, Chawani, Indore, (M.P.) 452001. W.e.f 15-1-2025.

M/S SHRI KRITI DEVELOPERS
(ADITYA GARG)

Partner.

(G-790)

आम सूचना

(NOTICE U/S. 72 OF THE PARTNERSHIP ACT, 1932)

Notice is hereby given that in the Partnership Firm M/S. Agrawal Infrastructure Registered office at 72 Old Agrawal Nagar, Indore (M.P.) 452001 and Registration No is 03-27-01-0011-22 dated 12-4-2022, which was constituted vide Partnership deed executed on 23-10-2021. In this Partnership firm subsequently following changes have occurred on 15-1-2025, Now both (Smt. Pramila Agrawal and Shri Aditya Garg) running partners have agreed to shift the principal place (Business Address) of the firm From at 72 Old Agrawal Nagar, Indore (M.P.) 452001 To 17/2 Murai Mohalla, Chawani, Indore (M.P.) 452001. W.e.f 15-1-2025.

M/S. AGRAWAL INFRASTRUCTURE
(ADITYA GARG)
Partner.

(G-791)

नाम परिवर्तन

मैं, राजेंद्र विजयवर्गीय सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि, पूर्व में मेरा नाम राजेंद्र कुमार विजयवर्गीय पुत्र पूनमचंद विजयवर्गीय था जो मेरे कुछ शैक्षणिक दस्तावेजों में दर्ज है, जिसे परिवर्तन कर राजेंद्र विजयवर्गीय दत्तक पुत्र रामस्वरूप विजयवर्गीय कर लिया है, अतः मेरे जिस भी दस्तावेज में हमारा नाम राजेंद्र कुमार विजयवर्गीय पुत्र पूनमचंद विजयवर्गीय लिखा हुआ है उन सभी शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में हमारा नाम राजेंद्र विजयवर्गीय दत्तक पुत्र रामस्वरूप विजयवर्गीय ही लिखा-पढ़ा एवं दर्ज किया जावे।

प्रार्थी

(राजेंद्र विजयवर्गीय)

(RAJENDRA VIJAYVARGIYA)

दत्तक पुत्र-रामस्वरूप विजयवर्गीय

(adopted S/o Ramswaroop Vijayvargiya)

पता— 188/3, नेहरू नगर,

जिला इन्दौर (म.प्र.).

(G-792)

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, मेसर्स एम एच बुड इण्डस्ट्रीज पंजीयन क्रमांक 01-01-01-00306-11 सन् 2011-2012 दिनांक 3-11-2012 भोपाल सम्बाग से पंजीकृत फर्म है। यह कि, संशोधित भागीदारी अभिलेख दिनांक 2 अप्रैल 2024 को इस भागीदारी फर्म से (1) मोहम्मद नूर इब्राहीम पुत्र श्री मोहम्मद हबीब अंसारी तथा (2) मोहम्मद यूसुफ अंसारी पुत्र श्री मोहम्मद हबीब अंसारी दोनों निवासी-मकान नं. 358, गली नं. 08, महामाई का बाग, स्टेशन रोड, भोपाल अपनी स्वेच्छा से (पृथक) बाहर हो रहे हैं। अब वर्तमान में (1) मोहम्मद मुजीब अंसारी पुत्र श्री मोहम्मद हबीब अंसारी तथा (2) मोहम्मद हसीब अंसारी पुत्र श्री मोहम्मद हबीब अंसारी दोनों भागीदार आपसी सहमति से इस फर्म का संचालन कर रहे हैं और फर्म का पूर्व पता बदलकर नवीन पता-प्लाट नं. 75-बी, सेक्टर-आई, इण्डस्ट्रीयल एरिया, गोविन्दपुरा, तहसील-हुजूर, जिला-भोपाल (म.प्र) आपसी सहमति से किया गया है।

मेसर्स एम एच बुड इण्डस्ट्रीज

(मोहम्मद मुजीब अंसारी)

भागीदार।

(G-793)

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म में मेसर्स बिहटा इण्डेन ग्रामीण वितरक पंजीयन क्र.- 05-26- 04-0205-15 दिनांक 3-3-2015 द्वारा पंजीकृत है जिसमें निम्न पार्टनर हैं:- (1) श्री इन्द्रजीत सिंह (2) श्रीमती सरिता सिंह

उक्त फर्म से श्रीमती सरिता सिंह दिनांक 29 जनवरी 2025 को प्रथक हो रही है, जिसकी लेनदारिया एवं देनदारिया शेष नहीं है।

मेसर्स बिहटा इण्डेन ग्रामीण वितरक

(इन्द्रजीत सिंह)

(सरिता देवी)

(शिखा)

भागीदार।

पता— ग्राम/पोस्ट बिहटा, तह. उचेहरा,

जिला सतना (म.प्र.).

(G-794)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, मो. अज़हर (Mohd Azhar) पुत्र स्व. श्री चंदू खान (Chandu Khan) निवासी— ए/695, बेरसिया रोड, हाउसिंग बोर्ड कालोनी, करोंद., तह. हुजूर जिला भोपाल (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम मो. अज़हर (Mo. Ajahar) पुत्र स्व. श्री चंदू खान (Chandu Khan) अंकित है, किंतु मेरा सही नाम मो. अज़हर (Mohd Azhar) पुत्र स्व. श्री चंदू खान (Chandu Khan) है, प्रकाशन उपरांत मुझे मो. अज़हर (Mohd Azhar) पुत्र स्व. श्री चंदू खान (Chandu Khan) के नाम से जाना—पहचाना, पढ़ा, सुना, समझा एवं दर्ज किया जाये.

पुराना नाम	नया नाम
(मो. अज़हर)	(मो. अज़हर)
(MO. AJAHAR)	(MOHD AZHAR)
(G-795)	पुत्र—स्व. श्री चंदू खान (CHANDU KHAN).

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती शहनाज बी मुल्तानी (Shahnaj Bee Multani) पत्नी श्री भूरा मुल्तानी (Bhura Multani) निवासी—185, नौसरबाद कॉलोनी, तहसील व जिला देवास (म.प्र.). यह कि मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम छन्नूबी शेख हमीद (Chhannubi Shaikh Hamid) पत्नी श्री भूरा मुल्तानी (Bhura Multani) अंकित है किंतु मेरे समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों के अनुसार मेरा सही नाम श्रीमती शहनाज बी मुल्तानी (Shahnaj Bee Multani) पत्नी श्री भूरा मुल्तानी (Bhura Multani) है. प्रकाशन उपरांत मुझे श्रीमती शहनाज बी मुल्तानी (Shahnaj Bee Multani) पत्नी श्री भूरा मुल्तानी (Bhura Multani) के नाम से जाना—पहचाना, पढ़ा, सुना, समझा एवं दर्ज किया जाये.

पुराना नाम	नया नाम
(छन्नूबी शेख हमीद)	(शहनाज बी मुल्तानी)
(CHHANNUBI SHAIKH HAMID)	(SHAHNAJ BEE MULTANI)
(G-796)	पत्नी— श्री भूरा मुल्तानी (BHURA MULTANI).

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, कैलाश पटेल (Kailash Patel) पुत्र श्री भोलाराम पटेल (Bholaram Patel) निवासी— 146, शक्ति नगर, हबीबगंज, तह. हुजूर जिला भोपाल (म.प्र.). यह कि मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम फतेहचन्द पटेल (Fatehchand Patel) पुत्र श्री भोलाराम (Bholaram Patel) अंकित है, किंतु मेरे समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों के अनुसार मेरा सही नाम कैलाश पटेल (Kailash Patel) पुत्र श्री भोलाराम पटेल (Bholaram Patel) है, प्रकाशन उपरांत मुझे कैलाश पटेल (Kailash Patel) पुत्र श्री भोलाराम पटेल (Bholaram Patel) के नाम से जाना—पहचाना, पढ़ा, सुना, समझा एवं दर्ज किया जाये.

पुराना नाम	नया नाम
(फतेहचन्द पटेल)	(कैलाश पटेल)
(FATEHCHAND PATEL)	(KAILASH PATEL)

(G-797)

पुत्र— श्री भोलाराम पटेल (BHOLARAM PATEL).

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, जितेन्द्र सिंह (Jitendra Singh) पुत्र श्री गोवर्धन हूँ मेरा पुत्र तरुण मालवीय (Tarun Malviya) है उसके आधार कार्ड में उसका नाम विराट मालवी (Virat Malvi) पुत्र रीना (Reena) अंकित है, रीना (Reena) मेरे पुत्र की माता जी का नाम है, मेरे पुत्र का सही नाम तरुण मालवीय (Tarun Malviya) पुत्र श्री जितेन्द्र सिंह (Jitendra Singh) है, प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र को तरुण मालवीय (Tarun Malviya) पुत्र श्री जितेन्द्र सिंह (Jitendra Singh) के नाम से जाना—पहचाना, पढ़ा, सुना, समझा एवं दर्ज किया जाये।

आवेदक

(जितेन्द्र सिंह)

(JITENDRA SINGH)

पुत्र— श्री गोवर्धन

पता— ग्राम हामिदपुर, पोस्ट त्योंदा,
पंचायत हामिदपुर, विदिशा (म.प्र.).

(G-798)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधरण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती प्रिती दुआ पुत्री श्री अशोक खिल्लन पत्नी श्री वरुण दुआ, मेरी पुत्री जिसका नाम हिमशिखा कपूर पुत्री श्री हरजीत कपूर है, मेरे द्वारा विधि अनुसार पुनर्विवाह किया गया है, जिसके उपरांत मैं, दुआ सरनेम नाम से जानी जा रही हूँ अतः मेरी पुत्री हिमशिखा कपूर का नाम भी अब सभी शासकीय एवं अशासकीय दस्तावेजों में हिमशिखा कपूर के स्थान पर हिमशिखा दुआ पुत्री श्रीमती प्रिती दुआ/ श्री वरुण दुआ पढ़ा, लिखा एवं दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

नया नाम

(हिमशिखा कपूर)

(हिमशिखा दुआ)

निवासी— एल.आई.जी.—193,

बी—सेक्टर, सोनागिरी,

जिला भोपाल (म.प्र.).

(G-799)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम KUMARI DISHA SHARMA है जो कि मेरे समरत शैक्षणिक दस्तावेजों में दर्ज है जबकि मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम DISHA SHARMA दर्ज हो गया है जो कि त्रुटिपूर्ण है। DISHA SHARMA एवं KUMARI DISHA SHARMA मुझ एक ही महिला के नाम है। अतः प्रकाशन उपरांत मुझे KUMARI DISHA SHARMA के नाम से जाना—पहचाना पढ़ा, लिखा दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

नया नाम

(DISHA SHARMA)

(KUMARI DISHA SHARMA)

D/o JAI NARAYAN SHARMA

R/o MAHARAJPURA GAON,

DISTT. GWALIOR (M.P.)

(G-800)

नाम परिवर्तन

सर्वजन को सूचित किया जाता है कि शादी से पूर्व मेरा नाम RAKHI TANWANI D/o PRAKASH TANWANI था इसी नाम से मेरे समस्त शैक्षणिक एवं अन्य दस्तावेज हैं। मेरी शादी NEERAJ BHATIYA से होने के बाद ससुराल में मेरा नाम बदलकर JIYA BHATIYA रखा गया है। RAKHI TANWANI एवं JIYA BHATIYA मुझे एक ही महिला के नाम हैं। अतः प्रकाशन उपरांत मुझे RAKHI TANWANI के स्थान पर JIYA BHATIYA के नाम से जाना—पहचाना व मेरे समस्त शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज किया जावे।

पुराना नाम	नया नाम
(RAKHI TANWANI)	(JIYA BHATIYA)
D/o PRAKASH TANWANI	W/o NEERAJ BHATIYA
	R/o Ashok Colony, Khasgi Bazar, Lashkar, Gwalior (M.P.).

(G-801)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स रुनझुन इन्टरप्राइजेज, ग्वालियर जो 6, नदी गेट, रानी महल रोड, ग्वालियर (म.प्र.) जिसका पंजीयन क्रमांक 02-42-01-00224-11 पंजीयन दिनांक 20-12-2011 है। जिसमें दिनांक 04-12-2024 को श्रीमती रामबाई गुप्ता पत्नी श्री मुरारी लाल गुप्ता निवासी-6, नदी गेट, रानीमहल रोड, ग्वालियर फर्म में मृत्यु होने के कारण फर्म से पृथक् हो गयी है।

मैसर्स रुनझुन इन्टरप्राइजेज
(मुकेश अग्रवाल)
भागीदार।

(G-802)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स सावरिया पोलिमर्स गुना, जो 23, इंडस्ट्रीयल एरिया, गुना, (म.प्र.) में स्थित है, जिसका पंजीयन क्र. 02-40-01-00058-13 दिनांक 11-6-2013 है। जिसमें दिनांक 18-10-2022 को भागीदार (1) श्री शशांक अग्रवाल पुत्र श्री पुरुषोत्तम दास अग्रवाल निवासी चौधरन कॉलोनी गुना (2) श्री मनोज गर्ग पुत्र श्री सोहन लाल गर्ग निवासी नदी मोहल्ला गुना (3) श्रीमती नीता गर्ग पत्नी श्री दीपक गर्ग निवासी नदी मोहल्ला गुना, अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गये हैं एवं इसी दिनांक 18-10-2022 को श्रीमती नैन्सी अग्रवाल पत्नी श्री शशांक अग्रवाल निवासी चौधरन कॉलोनी गुना एवं श्रीमती पूजा अग्रवाल पत्नी श्री अंकित गर्ग, निवासी चौधरन कॉलोनी गुना फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गयी हैं।

मैसर्स सावरिया पोलिमर्स गुना
(पूजा अग्रवाल)
भागीदार।

(G-803)

नाम परिवर्तन

मैं, आनंद कुमार शिंदे (ANAND KUMAR SHINDE) पुत्र श्री बालासाहब शिंदे सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरी पुत्री नंदिनी शिंदे (NANDINI SHINDE) के शैक्षणिक प्रमाण पत्र में मेरा नाम आनंद शिंदे (ANAND SHINDE) लिखा गया है जबकि मेरा नाम आनंद कुमार शिंदे है जो मेरी पुत्री के अन्य शासकीय / अशासकीय प्रपत्रों लिखा गया है। आनंद कुमार शिंदे एवं आनंद शिंदे दोनों मेरे ही नाम हैं अतः मेरी पुत्री के समस्त शैक्षणिक दस्तावेजों एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम आनंद शिंदे के स्थान पर आनंद कुमार शिंदे लिखा एवं पढ़ा जावे।

प्रार्थी

(आनंद कुमार शिंदे)

पुत्र— श्री बालासाहब शिंदे
पता— पानी की टंकी के पास,
पवार का बाड़ा, पिछाड़ी डिओड़ी
लाला का बाजार, ग्वालियर (म.प्र.)

(G-804)

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that the firms "M/s UDAYVEER SINGH BHADOURIA" of MAHENDRA NAGAR NAWADA BAG BHIND (M.P.) Vide Registration No- ARG/FIRM/59, dated 16-2-2004 has undergone reconstitution in the partnership, whereby partner Mr. Harsh Vardhan Bhadouria S/o Shri Praveen Singh Bhadouria is joining the firm from 29-8-2024 as a partner and on the same date partner Mr. Udayveer Singh Bhadouria S/o Shri Chote Singh Bhadouria is retiring from the Firm.

M/s UDAYVEER SINGH BHADOURIA
(PRAVEEN SINGH BHADOURIA)
S/o Udayveer Singh Bhadouria
Partner.

(G-805)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म का नाम MAA BHADRAKALI ENTERPRISES जिसका पंजीयन क्रं. 03-27-01-0028-19 दिनांक 29-4-2019 जो आर-667, महालक्ष्मी नगर, इन्दौर में स्थित है जिसमें दिनांक 1-1-2021 को भागीदार श्री दिलीप जायसवाल पुत्र श्री पुरुषोत्तम जायसवाल निवासी रामीनगर उद्धवन मार्ग, उज्जैन एम.एल. नगर उज्जैन अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक हो गये हैं एवं इसी दिनांक को भागीदार श्री जगदीश प्रसाद पसतोर पुत्र श्री ज्ञासी प्रसाद निवासी-520, सेमरा गेट, चॉदबड़, हुजूर, भोपाल फर्म में नवीन भागीदार के रूप में समिलित हो गये हैं।

MAA BHADRAKALI ENTERPRISES
(योगेन्द्र जायसवाल)
भागीदार.

(G-806)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म M/S BHARDWAJ ENTERPRISES, जो F- 102/B-24, B.S.F. COLONY, BHIND ROAD, MAHARAJPURA, GWALIOR (M.P.) में स्थित है। जिसका पंजीयन क्रमांक 02-42-01-0162-21 दिनांक 31-08-2021 है जिसमें दिनांक 1-4-2023 को भागीदार श्री प्रज्जवल शर्मा पुत्र श्री राजकुमार शर्मा निवासी-बी-91, बी.एस.एफ कॉलोनी महाराजपुरा ग्वालियर (म.प्र.) अपनी स्वेच्छा से फर्म से प्रथक हो गये हैं। एवं इसी दिनांक 1-04-2023 को श्री सुनील शर्मा पुत्र श्री राधे श्याम शर्मा निवासी किशनपुरा भिंड, मेहगाँव (म.प्र.) फर्म में नवीन भागीदारी के रूप में समिलित हो गये हैं।

M/S BHARDWAJ ENTERPRISES
(पंकज शर्मा)
भागीदार.

(G-807)

नाम परिवर्तन

मैं, सुखसेना मिश्रा (Sukhsaina Mishra) पत्नी श्री पी एन मिश्रा सर्वसाधारण को सूचित करती हूं कि मेरे सभी शासकीय/अर्धशासकीय/अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम सुखसेना मिश्रा पत्नी श्री प्रकाश नारायण मिश्रा (पी एन मिश्रा) है. किंतु मेरे कुछ प्रपत्रों में जैसे आधार कार्ड, समग्र ID में मेरा नाम ज्योति मिश्रा (Jyoti mishra) पत्नी श्री पी एन मिश्र अंकित हो गया है जो कि मेरे घर का नाम है. ज्योति मिश्रा और सुखसेना मिश्रा ये नाम एक ही महिला के हैं. प्रकाशन के उपरांत मुझे सभी शासकीय/अर्धशासकीय/शैक्षणिक अन्य दस्तावेजों में मुझे सुखसेना मिश्रा (Sukhsaina Mishra) पत्नी श्री प्रकाश नारायण मिश्रा (पी एन मिश्रा) के नाम से ही जाना—पहचाना, लिखा—पढ़ा एवं पुकारा जाए.

पुराना नाम
(ज्योति मिश्रा)

(G-808)

नया नाम
(सुखसेना मिश्रा)

(SUKHSAINA` MISHRA)
पत्नी—श्री पी एन मिश्रा
पता— मकान नं. 169, ग्राम रामगढ़,
पोस्ट रामगढ़, तहसील अमरपाटन
जिला सतना (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, राजंती चौहान पत्नी स्व. श्री विनोद कुमार चौहान सर्वसाधारण को सूचित करती हूं कि मेरे पति के सभी शासकीय/अर्धशासकीय/अन्य दस्तावेजों में उनका नाम विनोद कुमार चौहान अंकित था. परंतु उनके सर्विस पुस्तिका में उनका नाम विनोद कुमार तथा हमारे पुत्र अभिजीत चौहान के दस्तावेजों उनका नाम विनोद चौहान अंकित है. विनोद कुमार चौहान, विनोद कुमार और विनोद चौहान तीनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं याने कि मेरे पति के प्रकाशन के बाद मेरे पुत्र के समस्त शासकीय अर्ध शासकीय तथा अन्य सभी दस्तावेजों में पिता के नाम के स्थान पर विनोद चौहान (Vinod Chouhan) ही लिखा, पढ़ा एवं पुकारा जाए.

प्रार्थी
(राजंती चौहान)

पता— तहसील सिवनी मालवा,
वार्ड क्र. ३ दुर्गा कॉलोनी, बानापुरा,
जिला—होशंगाबाद (म.प्र.).

(G-809)

नाम परिवर्तन

प्रार्थी रामलाल कुमावत पिता गणपत कुमावत, निवासी—ग्राम छत्री, पोस्ट बिरमावल, तह. व जिला रतलाम, (म.प्र.). प्रार्थी का नाम कुछ शासकीय, अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में रामा पिता गणपत कुमावत अंकित है. प्रार्थी को उक्त दोनों नामों से जाना पहचाना जाता है एवं दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं. भविष्य में प्रार्थी को रामलाल कुमावत (RAMLAL KUMAWAT) पिता गणपत कुमावत (GANPAT KUMAWAT) के नाम से जाना पहचाना जावे.

प्रार्थी
(रामलाल कुमावत)

पिता— गणपत कुमावत

(G-810)

नाम परिवर्तन

प्रार्थी सत्यदेव पाटीदार पिता लक्ष्मीनारायण पाटीदार निवासी-122, ग्राम दन्तोड़िया तह. व जिला रतलाम (म.प्र.). प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख में संतोष पिता लक्ष्मीनारायण सरपस्त यशोधरा व यशोधर दर्ज है. प्रार्थी को उक्त दोनों नामों से जाना पहचाना जाता है एवं दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं. भविष्य में प्रार्थी को सत्यदेव पाटीदार पिता लक्ष्मीनारायण पाटीदार के नाम से जाना पहचाना जावे.

प्रार्थी

(सत्यदेव पाटीदार)

पिता— लक्ष्मीनारायण पाटीदार.

(G-811)

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स यूनिकॉर्न बिल्डर्स, पंजीयन क्रमांक-03-27-01-0438-25 सन 2024-25, दिनांक 4-2-2025 इन्दौर सम्भाग से पंजीकृत फर्म है, यह कि संशोधित भागीदारी अभिलेख क्रमांक एमपी 179152024 ए 11209335 दिनांक 7-10-2024 को आपसी सहमति से इस भागीदारी फर्म में श्री पंकज संघवी पिता श्री जयंतीलाल संघवी को आपसी सहमति से सम्मिलित किया गया है तथा 1. श्री ललित शर्मा पिता श्री हरिओम शर्मा, निवासी 556, खातीवाला टैक, इन्दौर (म.प्र.), वर्तमान पता — 65, रॉयल बंगलो, शिवालय, बिजलपुर, इन्दौर (म.प्र.), 2. श्री लालू नागर पिता श्री प्रतापसिंह नागर, निवासी — 23, गणेश नगर, इन्दौर (म.प्र.), दिनांक 7-10-2024 से इस भागीदारी फर्म से अपनी स्वेच्छा से (पृथक) बाहर हो रहे हैं.

मेसर्स यूनिकॉर्न बिल्डर्स

(कविता वर्मा)

भागीदार

कार्यालय— 9, हाई लिंक सिटी, छोटा बांगड़दा

सुपर कॉरीडोर के पास, इन्दौर (म.प्र.).

(G-812)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को मैं, श्रुति तिवारी सूचित करती हूँ कि पूर्व मेरी पुत्री का नाम श्रेया तिवारी (SHREYA TIWARI) पिता उमेश तिवारी (UMESH TIWARI) था जो की उसके पूर्व आधार कार्ड एवं जन्म प्रमाण पत्र पर दर्ज है, किन्तु मेरा द्वितीय विवाह श्री रवि प्रकाश तिवारी (RAVI PRAKASH TIWARI) से होने के पश्चात् अब मेरी पुत्री का नाम श्रेया तिवारी (SHREYA TIWARI) पिता उमेश तिवारी दत्तक पिता रवि प्रकाश तिवारी हो गया है जो कि उसके आधार कार्ड पर भी दर्ज है. प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री के सभी दस्तावेजों पर उसका नाम श्रेया तिवारी दत्तक पिता रवि प्रकाश तिवारी लिखा, पढ़ा जावे एवं भविष्य में इसी नाम से जाना, पहचाना व सम्बोधित किया जावे.

पुराना नाम

नया नाम

(श्रेया तिवारी)

(श्रेया तिवारी)

(SHREYA TIWARI)

(SHREYA TIWARI)

(G-813)

पिता— रवि प्रकाश तिवारी

पता— 338, एम.आई.जी. संजीव नगर

जिला भोपाल (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरी पुत्री का नाम वान्या भलावी (VANYA BHALAVI) पिता श्री राजेन्द्र कुमार भलावी था जो कि उसके आधार कार्ड एवं शैक्षणिक दस्तावेजों पर अंकित है. किन्तु मैंने मेरी पुत्री का नाम परिवर्तित कर आरना भलावी (AARNA BHALAVI) कर लिया है जो उसके जन्म प्रमाण-पत्र पर अंकित है. अतः भविष्य में मेरी पुत्री के सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों पर उसका परिवर्तित नाम आरना भलावी (AARNA BHALAVI) पिता श्री राजेन्द्र कुमार भलावी लिखा, पढ़ा जावे एवं इसी नाम से जाना, पहचाना व सम्बोधित किया जावे.

पुराना नाम (वान्या भलावी) (VANYA BHALAVI)	नया नाम (आरना भलावी) (AARNA BHALAVI)
(G-814)	पिता— श्री राजेन्द्र कुमार भलावी पता— 46, इन्द्रा गौंधी नगर, इन्दौर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का वास्तविक व सही नाम ओवेश शेख (OWAIS SHAIKH) पिता श्री गब्बर शेख है, जो कि मेरे पुत्र के शैक्षणिक एवं अन्य दस्तावेजों में दर्ज है किन्तु मेरे पुत्र के आधार कार्ड पर त्रुटिवश उसका नाम आवेश शेख (AVESH SHAIKH) पिता गब्बर शेख दर्ज हो गया है, अतः भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम ओवेश शेख (OWAIS SHAIKH) पिता श्री गब्बर शेख के नाम से जाना, पहचाना व सम्बोधित किया जावे.

पुराना नाम (आवेश शेख) (AVESH SHAIKH)	नया नाम (ओवेश शेख) (OWAIS SHAIKH)
(G-815)	पिता— श्री गब्बर शेख पता— वार्ड नं 5, ग्राम पुवार्डा हप्पा, सांवेर, इन्दौर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम लव मनावरे (LUV MANAWARE) पिता श्री महेश मनावरे है, जो कि मेरे पुत्र के शैक्षणिक दस्तावेजों एवं जन्म प्रमाण-पत्र पर दर्ज है किन्तु मेरे पुत्र के आधार कार्ड पर त्रुटीवश उसका नाम लव मनावरे (LAV MANAWARE) पिता श्री महेश मनावरे दर्ज हो गया है, अतः भविष्य में मेरे पुत्र के सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों पर उसका सही नाम लव मनावरे (LUV MANAWARE) पिता श्री महेश मनावरे लिखा पढ़ा जावे एवं इसी नाम से जाना, पहचाना व सम्बोधित किया जावे.

पुराना नाम (लव मनावरे) (LAV MANAWARE)	नया नाम (लव मनावरे) (LUV MANAWARE)
(G-816)	पिता— श्री महेश मनावरे पता— 458, नंदन नगर, धार रोड इन्दौर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, दिनेश सिंह राठौर (Dinesh Singh Rathor) पुत्र रामजी लाल मेरा पुत्र भविष्य राठौर (Bhavishya Rathore) है, उसके आधार कार्ड में उसका नाम भावेश राठौर (Bhavesh Rathore) पुत्र श्री दिनेश राठौर (Dinesh Rathore) अंकित है किंतु, मेरे पुत्र के समस्त शासकीय / अशासकीय दस्तावेजों के अनुसार उसका सही नाम भविष्य राठौर (Bhavishya Rathore) पुत्र दिनेश सिंह राठौर (Dinesh Singh Rathor) है। प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र को भविष्य राठौर (Bhavishya Rathore) पुत्र दिनेश सिंह राठौर (Dinesh Singh Rathor) के नाम से जाना—पहचाना, पढ़ा, सुना, समझा एवं अभिलेखों में दर्ज किया जाये।

प्रार्थी

(दिनेश सिंह राठौर)

(DINESH SINGH RATHOR)

पुत्र— श्री रामजी लाल
पता— श्रीराम जी धर्मकांटा,
12 दुकान के सामने, गिरवाई नाका,
अजयपुर, लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.)

(G-817)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स M/S R.S. Petroleum C/O. Sanjiv Traders, Old Galla Mandi Tilakganj सागर (M.P.) पंजीयन क्रमांक 06-09-01-0005-23 सन् 2023-2024 दिनांक 11-4-2023 पर पंजीकृत है। फर्म में दिनांक 19-2-2022 को Sanjeev Kumar Kesharwani, Shailesh Kesharwani & Akhilesh Kesharwani भागीदार थे। उक्त फर्म की रचना में परिवर्तन दिनांक 1-2-2025 को फर्म के भागीदार Smt. Babita Kesharwani को फर्म के भागीदारी में सम्मिलित की गई वर्तमान में फर्म में Sanjeev Kumar Kesharwani, Shailesh Kesharwani & Akhilesh Kesharwani & Smt. Babita Kesharwani भागीदार हैं। फर्म के भागीदारों के मध्यम कोई भी लेनदारी व देनदारी शेष नहीं है।

M/S R.S. Petroleum
(SANJEEV KESHARWANI)
भागीदार।

(G-818)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स SATYA JAI INFRA, 45-Tirupati Residency Kishanganj Mhow Indore (M.P.) पंजीयन क्रमांक 03-27-02-0432-25 सन् 2024-2025 दिनांक 2-2-2025 पर पंजीकृत है। फर्म में पंजीयन के समय दीपक दुबे, वृन्दावन अग्रवाल, संतोष कुमार अग्रवाल, बसंत अग्रवाल व ध्रुव अग्रवाल भागीदार थे। उक्त फर्म की रचना में परिवर्तन दिनांक 4-2-2025 को दीपक दुबे भागीदारी से स्वतः पृथक हो गये। मेसर्स सत्य जय इंफ्रा एक पार्टनरशिप फर्म है, जिसका पता अब 45, तिरुपति रेसीडेन्सी किशनगंज, महू जिला इन्दौर (म.प्र.) है। संशोधन के उपरांत पता—327, मेन स्ट्रीट, महू तहसील डॉ. आंबेडकर नगर, महू जिला इन्दौर (म.प्र.). फर्म के भागीदारों के मध्यम कोई भी लेनदारी व देनदारी शेष नहीं है।

M/S SATYA JAI INFRA
(वृन्दावन अग्रवाल)
(संतोष कुमार अग्रवाल)
भागीदार।

(G-819)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, मेसर्स स्वस्ती पाईप्स एण्ड ट्युब्स, पंजीयन क्रमांक 03-27-03-00199-12, दिनांक 17 अक्टूबर, 2012 इंदौर संभाग से पंजीकृत फर्म है, यह कि संशोधित भागीदारी अभिलेख दिनांक 19 फरवरी 2025 को आपसी सहमती से इस भागीदारी फर्म का पूर्व नाम बदलकर नवीन नाम मेसर्स पेन्टा कॉर्प साइन्स इन्डस्ट्रीज किया गया है तथा संशोधित भागीदारी अभिलेख दिनांक 19 फरवरी 2025 को इस भागीदारी फर्म में श्रीमान भागीरथ पाटीदार पिता शिवजी पाटीदार को आपसी सहमती से समिलित किया गया है और श्रीमान उमेश चौधरी पिता श्री शंकरलालजी चौधरी दिनांक 19 फरवरी 2025 को इस भागीदारी फर्म से अपनी स्वेच्छा से (पृथक) बाहर हो रहे हैं।

मेसर्स स्वस्ती पाईप्स एण्ड ट्युब्स

(नारायण पाटीदार)

भागीदार.

(G-820)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि मैं, मुकेश कुर्मी पुत्र स्व. राधेश्याम कुर्मी, पता—रिपटा के पास, गोरा देवी वार्ड, गोटेगाँव, नरसिंहपुर (म.प्र.). यह कि मैंने अपना नाम मुकेश बिलवार से बदलकर मुकेश कुर्मी कर लिया है एवं मेरे पेन कार्ड आधार कार्ड में भी मेरा नाम मुकेश कुर्मी दर्ज हो गया है अतः अब मुझे मुकेश कुर्मी के नाम से ही जाना—पहचाना पढ़ा, लिखा जावे व अन्य समस्त दस्तावेजों में भी मेरा नाम मुकेश कुर्मी दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

नया नाम

(मुकेश बिलवार)

(मुकेश कुर्मी)

(MUKESH BILWAR)

(MUKESH KURMI)

(G-821)

नाम परिवर्तन

मैं, चंद्रेश पुत्र कल्यान, निवासी—11, जोतपुर, ग्राम बेरखेडी गुसाई, जैसीनगर, सागर, (म.प्र.). यह कि मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश रामनारायण (RAMNARAYAN) नाम दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, जबकि मेरे अन्य शासकीय एवं अशासकीय एवं जाति प्रमाण—पत्र में चंद्रेश (CHANDRESH) पुत्र कल्यान नाम दर्ज है जो कि सही है, अतः राजपत्र में प्रकाशन उपरांत भविष्य में मेरे सभी शासकीय / अर्द्धशासकीय / व्यक्तिगत कार्यवाही एवं समस्त दस्तावेजों में सही नाम चंद्रेश (CHANDRESH) पुत्र कल्यान से जाना—पहचाना व लिखा, पढ़ा एवं दर्ज किया जावे।

प्रार्थी

(कल्यान).

(G-822)

नाम परिवर्तन

मैं, सुदामा गौर पुत्र श्री रमेश प्रसाद गौर, निवासी—ग्राम जहाजपुर, सीहोर, (म.प्र.). यह कि मेरी पुत्री के आधार कार्ड पर त्रुटिवश मुन्नी नाम दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, जबकि मेरी पुत्री के जन्म प्रमाण—पत्र में जागृति गौर (JAGRATI GOUR) नाम दर्ज है जो कि सही है, अतः प्रकाशन उपरांत भविष्य में मेरी पुत्री के सभी शासकीय / अर्द्धशासकीय / व्यक्तिगत कार्यवाही एवं समस्त दस्तावेजों में सही नाम जागृति गौर (JAGRATI GOUR) पुत्री सुदामा गौर से जाना—पहचाना व लिखा, पढ़ा एवं दर्ज किया जावे।

प्रार्थी

(सुदामा गौर).

(G-823)

नाम परिवर्तन

मैं, जयपाल सिंह पुत्र श्री नरबत सिंह, निवासी—ग्राम आनंदीपुरा, तहसील आष्टा, जिला सीहोर,(म.प्र.). यह कि मेरे पुत्र के आधार कार्ड पर त्रुटिवश बबलू नाम दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, जबकि मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण—पत्र एवं शैक्षणिक दस्तावेजों पर अमन (AMAN) नाम दर्ज है जो कि सही है, अतः प्रकाशन उपरांत भविष्य में मेरे पुत्र के सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय/व्यक्तिगत कार्यवाही एवं समस्त दस्तावेजों में सही नाम अमन (AMAN) से जाना—पहचाना व लिखा, पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

प्रार्थी

(जयपाल सिंह)
पुत्र—श्री नरबत सिंह.

(G-824)

नाम परिवर्तन

मैं, प्रीतम कुमार पुत्र श्री हेमराज सिंह, निवासी—ग्राम सेवनिया, तहसील इछावर, जिला सीहोर, (म.प्र.). यह कि मेरी पुत्री के आधार कार्ड पर त्रुटिवश पूर्ति नाम दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, जबकि मेरी पुत्री के जन्म प्रमाण—पत्र पर पूर्वी (POORVI) नाम दर्ज है जो कि सही है, अतः प्रकाशन उपरांत भविष्य में मेरी पुत्री के सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय/व्यक्तिगत कार्यवाही एवं समस्त दस्तावेजों में सही नाम पूर्वी (POORVI) से जाना—पहचाना व लिखा, पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

प्रार्थी

(प्रीतम कुमार)
पुत्र—हेमराज सिंह.

(G-825)

नाम परिवर्तन

आमजनता को सूचित किया जाता है कि मैं, महेश कुमार आत्मज श्री बनारस गुरुलंग मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम महेश कुमार (MAHESH KUMAR) पिता का नाम बनारस गुरुलंग (BANARAS GURUNG) दर्ज है. तथा मेरे आधार कार्ड एवं अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम महेश कुमार गुरुलंग (MAHESH KUMAR GURUNG) आत्मज श्री बनारस गुरुलंग (BANARAS GURUNG) दर्ज है. मैं अपने सर्विस रिकार्ड में अपना नाम महेश कुमार (MAHESH KUMAR) के स्थान पर महेश कुमार गुरुलंग (MAHESH KUMAR GURUNG) पिता श्री बनारस गुरुलंग (BANARAS GURUNG) संशोधित कर दर्ज कराना चाहता हूँ प्रकाशन उपरांत इसी नाम से मुझे जाना—पहचाना एवं लिखा, पढ़ा जावे.

पुराना नाम

नया नाम

(महेश कुमार)

(महेश कुमार गुरुलंग)

(MAHESH KUMAR)

(MAHESH KUMAR GURUNG).

(G-826)

नाम परिवर्तन

आमजनता को सूचित किया जाता है कि मैं, सुशील कुमार आत्मज श्री रामाधार द्विवेदी, मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम सुशील कुमार (SUSHIL KUMAR) पिता श्री रामाधार द्विवेदी दर्ज है. मेरे आधार कार्ड, अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम सुशील कुमार द्विवेदी (SUSHIL KUMAR DWIVEDI) पिता का नाम श्री रामाधार द्विवेदी दर्ज है. मैं, अपने सर्विस रिकार्ड में अपना नाम सुशील कुमार के स्थान पर सुशील कुमार द्विवेदी (SUSHIL KUMAR DWIVEDI) एवं पिता का नाम श्री रामाधार द्विवेदी संशोधित कर दर्ज करना चाहता हूँ इसी नाम से मुझे जाना—पहचाना एवं लिखा, पढ़ा जावे.

पुराना नाम

नया नाम

(सुशील कुमार)

(सुशील कुमार द्विवेदी)

(SUSHIL KUMAR)

(SUSHIL KUMAR DWIVEDI).

(G-827)

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है की मेसर्स श्री प्रेम इंफ्रास्ट्रक्चर, एक पार्टनरशिप फर्म ओसियन आर्केड ओसियन पार्क, निपानिया, इंदौर (म.प्र.) 452001 पंजीयन क्र. 03-27-01-0141-17 दिनांक 14-9-2017 पर पंजीकृत है फर्म में पंजीयन के समय अनिल मिश्रा पिता श्री प्रेम कुमार मिश्रा, स्वेता पांडे पति श्री विकास पांडे भागीदार थे। उक्त फर्म की रचना परिवर्तन दिनांक 31-3-2018 को श्री अनिल मिश्रा पिता श्री प्रेम कुमार मिश्रा फर्म के भागीदारी से स्वेच्छा से पृथक हो गए हैं एवं उक्त फर्म की रचना परिवर्तन दिनांक 31-3-2018 को एक नए पार्टनर रश्मी मिश्रा पति अनिल मिश्रा को फर्म के भागीदारों में समिलित किया गया उक्त फर्म की रचना परिवर्तन दिनांक 16-7-2022 को स्वेता पांडे पति श्री विकास पांडे फर्म के भागीदारी से स्वेच्छा से पृथक हो गए हैं। एवं उक्त फर्म की रचना परिवर्तन दिनांक 16-7-2022 को एक नए पार्टनर राजीव त्रिपाठी पिता रमेश त्रिपाठी को फर्म के भागीदारों में समिलित किया गया उक्त फर्म की रचना परिवर्तन दिनांक 14-6-2024 को राजीव त्रिपाठी पिता रमेश त्रिपाठी फर्म के भागीदारी से स्वेच्छा से पृथक हो गए हैं एवं उक्त फर्म की रचना परिवर्तन दिनांक 14-6-2024 को एक नए पार्टनर दिनेश मोरी पिता रतन सिंह मोरी को फर्म के भागीदारों में समिलित किया गया उक्त फर्म की रचना परिवर्तन दिनांक 21-1-2025 को रश्मी मिश्रा पति अनिल मिश्रा फर्म के भागीदारी से स्वेच्छा से पृथक हो गए हैं एवं उक्त फर्म की रचना परिवर्तन दिनांक 21-1-2025 को लोकेश बढ़वाया पिता बहादुर सिंह बढ़वाया, एवं महेश चौधरी पिता रामसिंह चौधरी को फर्म के भागीदारों में समिलित किया गया उक्त फर्म की रचना में परिवर्तन दिनांक 21-1-2025 को फर्म के कार्यालय का पता ओसियन आर्केड ओसियन पार्क निपानिया, इंदौर (म.प्र.) 452001 से परिवर्तन कर राधा नगर नीलकंठ कॉलोनी, इंदौर, जिला इंदौर (म.प्र.) पिन कोड 452006 रहेगा। वर्तमान में दिनेश मोरी, लोकेश बढ़वाया, एवं महेश चौधरी फर्म में भागीदार हैं फर्म के भागीदारों के मध्य कोई भी लेनदारी शेष नहीं है।

मेसर्स श्री प्रेम इंफ्रास्ट्रक्चर

(रश्मी मिश्रा)

(राजीव त्रिपाठी)

भागीदार।

(G-828)

नाम परिवर्तन

मैं, शपथगृहिता डॉ. प्रीति देवी हरदेनिया पुत्री श्री श्याम बिहारी हरदेनिया, मेरे समस्त शैक्षणिक दस्तावेजों एवं सर्विस बुक आदि में मेरा नाम प्रीति देवी हरदेनिया दर्ज है एवं विवाह पश्चात् बने दस्तावेजों—आधार कार्ड, पासपोर्ट आदि में मेरा नाम प्रीति शर्मा (पति हिमांशु शर्मा) दर्ज हैं। दोनों ही नाम मेरे हैं एवं सत्य हैं। भविष्य में मुझे प्रीति हरदेनिया नाम से जाना एवं पहचाना जावे।

प्रार्थनी

(प्रीति हरदेनिया)

(PRITI HARDENIYA)

(G-829)

नाम परिवर्तन

मैं, किशन सिंह बघेल आत्मज श्री उमराव सिंह बघेल निवासी— सी—394, राजहर्ष कॉलोनी नियर अमरनाथ कालोनी, कोलार रोड, भोपाल (म.प्र.) सूचित करता हूँ कि मैं, मध्यप्रदेश पुलिस विभाग में कार्यरत हूँ, मेरी सर्विस बुक में मेरा नाम किशन बघेल दर्ज है जबकि मेरे अन्य दस्तावेज आधार कार्ड, समग्र आई.डी. एवं पासपोर्ट में मेरा सही नाम किशन सिंह बघेल दर्ज है जो कि सही एवं सत्य है। प्रकाशन उपरांत मुझे मेरे सही नाम किशन सिंह बघेल से जाना—पहचाना एवं दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

नया नाम

(किशन बघेल)

(किशन सिंह बघेल)।

(G-830)

कार्यालय, भोपाल विकास प्राधिकरण, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2025

प्ररूप अठारह

[नियम 19 (5) देखिए]

[धारा 50 की उपधारा (3) के अधीन प्रारूप नगर विकास स्कीम की घोषणा हेतु सूचना]

क्र.-317—भेविप्रा—25.—एतद्वारा सूचना दी जाती है कि भोपाल विकास प्राधिकरण, भोपाल द्वारा भोपाल विकास योजना 2005 के 30.00 मीटर चौड़े मार्ग निर्माण के लिये प्रारूप नगर विकास स्कीम क्रमांक 213—BHO—2023, यथा ग्राम मिसरोद, भैरोपुर एवं बागली (क्षेत्र का वर्णन जिसमें स्कीम प्रस्तावित की गई है) में तैयार की गई है. शासन से प्राप्त अनुमति के अनुसार अधिनियम की धारा 50(2) में प्रकाशित स्कीम की अंतिम सीमा के खसरों में से निम्न खसरे जो स्कीम क्षेत्र में सम्मिलित होकर अथवा अन्य कारणों से, जैसा कि दर्शाया गया है, प्रकाशन से शामिल नहीं है, स्कीम में सम्मिलित माने जावेंगे:—

क्रमांक	भूस्वामी का नाम	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टर में)	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
ग्राम कटारा तहसील कोलार जिला भोपाल				
1.	शासकीय सीलिंग भूमि	441	0.6000	स्कीम की बाह्य सीमा पर समन्वयित मार्ग की निरंतरता के लिये आवश्यक
2.	कौशल्या पाटीदार पत्नी गिरधारी लाल पाटीदार	442	0.0400	
3.	रामानंद पाटीदार पुत्र लक्ष्मी नारायण	443	0.7100	
ग्राम भैरोपुर, तहसील कोलार जिला भोपाल				
4.	बलवीर सिंह पिता मुंशीलाल	402	0.025	स्कीम क्षेत्र के अंदर प्रकाशन से वंचित

टिप्पणी: इसके अतिरिक्त भी कुछ खसरा नम्बर के बटान, जो स्कीम क्षेत्र में सम्मिलित होकर प्रकाशन में रह गये हैं, स्कीम में सम्मिलित माने जावेंगे.

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23, सन् 1973) की धारा 50 की उपधारा (3) के अधीन सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह प्रकाशित किया जाता है कि इसके नियम 19 के उपनियम (6) के अनुसार उपरोक्त की प्रतिलिपि निरीक्षण हेतु कार्यालयीन अवधि में निम्नलिखित कार्यालयों में उपलब्ध है:—

1. भोपाल विकास प्राधिकरण, भोपाल
2. जिला कार्यालय, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला भोपाल तथा, प्राधिकरण की वेबसाइट www.bda.org.in पर भी प्रकाशित.

किसी भी आपत्ति या सुझाव पर, जो नगर विकास योजना के प्रारूप से प्रभावित किसी व्यक्ति से अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में, मध्यप्रदेश राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशन से तीस दिवस के भीतर प्राप्त होते हैं, पर विचार किया जाएगा.

(G-831)

प्रदीप जैन, मुख्य कार्यपालन अधिकारी.

विविध न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), टिमरनी, जिला—हरदा, मध्यप्रदेश

आवेदक :- श्री महंत विष्णु भारती गुरु बालकृष्ण भारती

निवासी :- गंगेश्री मठ बिरजाखेड़ी तहसील टिमरनी

आदेश

(पारित दिनांक 2 दिसम्बर 2024)

रा.प्र.क्र.0007—बी—113(4)—2024—2025.— प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक श्री महंत विष्णु भारती गुरु बालकृष्ण भारती गंगेश्री मठ ग्राम बिरजाखेड़ी तहसील टिमरनी ने एक आवेदन पेश किया कि गंगेश्री मठ ग्राम बिरजाखेड़ी जिसका पंजीयन क्रमांक 140—72 है उक्त ट्रस्ट का मैं, न्यासी हूँ। उक्त ट्रस्ट के पास वर्तमान में कुल 270 एकड़ भूमि है उक्त भूमि में से 110 एकड़ भूमि पर कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा है। मैं, उक्त ट्रस्ट का एकमात्र ट्रस्टी हूँ। एकमात्र ट्रस्टी होने के कारण मैं उक्त जमीन—भूमि एवं ट्रस्ट की देखरेख सही तरीके से नहीं कर पा रहा हूँ। जिससे बहुत सारी समस्या आ रही हैं। उक्त ट्रस्ट की देखरेख सही तरीके से हो सके इसलिए मैं निम्नानुसार नवीन न्यासी के रूप में महंत गोविन्द गिर पिता भौला गिरी, महंत विश्वेश्वर भारती पिता गुरु शिवशंकर भारती, सुजीत शर्मा पिता ख. श्री बिहारीलाल शर्मा, विवेक भुस्कुटे पिता श्री अतुल भुस्कुटे, आनंद मुजुमदार पिता ख. श्री रत्नाकर मुजुमदार, रामवीर शर्मा पिता श्री रामभरोसी शर्मा, पदेन तहसीलदार टिमरनी, पदेन नायब तहसीलदार, टिमरनी के नाम ट्रस्ट पंजी में दर्ज किये जाने का निवेदन करता हूँ। जिससे ट्रस्ट का संचालन ठीक तरीके से हो सके। आवेदक के साथ मैं सभी नवीन ट्रस्टी की सहमति भी संलग्न कर पेश की गयी है।

प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण में रामवीर शर्मा, महंत गोविन्द गोरी, आनंद मुजुमदार, विवके अतुल भुस्कुटे, सुजीत शर्मा ने उक्त ट्रस्ट में नाम जोड़े जाने में अपनी सहमति दी। महंत विश्वेश्वर भारती आ। गुरु शिवशंकर भारती ने अपनी सहमति प्रस्तुत नहीं की। प्रकरण में तहसीलदार—नायब तहसीलदार की सहमति की आवश्यकता नहीं है। तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार एक ही पद होने के कारण मैं, तहसीलदार का नाम उक्त ट्रस्ट में जोड़ना उचित पाता हूँ।

अतः समग्र प्रकरण के अवलोकन उपरांत एवं आवेदक के आवेदन से सहमत होते हुये ट्रस्ट क्रमांक 140 / 72 गोदागाव गंगेश्री मठ ग्राम बिरजाखेड़ी के संचालन हेतु निम्नानुसार ट्रस्टी/सदस्यों की नियुक्ति की जाती है :—

1. श्री महंत विष्णु भारती गुरु बालकृष्ण भारती
2. श्री महंत गोविन्द गिरी पिता भौला गिरी
3. श्री विवेक भुस्कुटे पिता श्री अतुल भुस्कुटे
4. श्री आनंद मुजुमदार पिता ख. श्री रत्नाकर मुजुमदार
5. श्री रामवीर शर्मा पिता श्री रामभरोसी शर्मा
6. श्री सुजीत शर्मा
7. पदेन तहसीलदार टिमरनी

वाचक निम्न ट्रस्ट पंजी में उक्त आदेश का इन्द्राज किया जावे तथा आदेश की प्रतिलिपि संबंधित मठ/ट्रस्ट/नवीन ट्रस्टीयों/सदस्यों को निशुल्क निवाह की जावे।

आदेश आज दिनांक 2 दिसम्बर 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

(G-832)

महेश कुमार बडोले, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)।

**कार्यालय, पंजीयक, लोकन्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), टीकमगढ़, जिला—टीकमगढ़,
मध्यप्रदेश**

टीकमगढ़, दिनांक 14 फरवरी 2025

क्र.—0001—वी—113(1)—2024—25.— एतद्वारा समस्त नगर/ग्राम वासी टीकमगढ़ को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री कुन्द दिग्म्बर जैन मुमुक्षु मंडल द्रस्ट लोक न्यास (द्रस्ट) टीकमगढ़ के द्वारा “श्री 1008 सीमंधर जिनालय (ज्ञानमन्दिर) छोटी देवी के पास, टीकमगढ़ लोक न्यास (द्रस्ट)” का द्रस्ट बनाये जाने हेतु आवेदन—पत्र लोक न्यास अधिनियम, 1951 लोक न्यास की धारा 4(3) के तहत प्रस्तुत किया गया है।

अतः एतद्वारा सूचना दी जाती है अन्तर्गत परिशिष्ट—1 में दर्शित अचल सम्पत्ति एवं परिशिष्ट—2 में दर्शित चल सम्पत्ति के संबंध में जिस किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो वह अपनी स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से दिनांक 14 मार्च 2025 को मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकता है, उक्त अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्तियों पर विचार नहीं किया जावेगा।

परिशिष्ट—1

(लोक न्यास और अचल सम्पत्ति का विवरण)

लोक न्यास का नाम :— श्री 1008 सीमंधर जिनालय (ज्ञानमन्दिर) लोक न्यास (द्रस्ट)

अचल सम्पत्ति :—

क्र.	अचल सम्पत्ति	राशि
(1)	(2)	(3)
1.	जमीन आबादी वार्ड नंबर 05 खसरा नंबर 1075	1677617.00
2.	भवन .	1401721.79
	योग ...	3079338.79

परिशिष्ट—2

(चल सम्पत्ति का विवरण)

चल सम्पत्ति :—

क्र.	अचल सम्पत्ति	राशि
(1)	(2)	(3)
1.	शेयर कैपिटल सरदार सिंह नागरिक सहकारी बैंक शाखा टीकमगढ़	100000.00
2.	एफडी सरदार सिंह नागरिक सहकारी बैंक शाखा टीकमगढ़	1426977.00
3.	एफडी भारतीय स्टेट बैंक शाखा टीकमगढ़	863704.00
4.	एफडी इण्डियन बैंक शाखा टीकमगढ़	892978.00
5.	बचत खाता भारतीय स्टेट बैंक शाखा टीकमगढ़	178244.51
6.	बचत खाता इंडियन बैंक शाखा टीकमगढ़	2148177.34
7.	बचत खाता सरदार सिंह नागरिक सहकारी बैंक शाखा टीकमगढ़	923814.78
8.	शेयर डिपोजिट सरदार सिंह नागरिक सहकारी बैंक शाखा टीकमगढ़	205.00
9.	रोकड़ नगदी	4220.00
10.	फर्नीचर	684982.37
11.	माइक	31070.20
12.	वाटर पंप	957.58
13.	कैमरा	16594.58
14.	एलईडी	7165.83
15.	लैपटॉप	1329.70

(G-833)

संजय कुमार दुबे, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

अन्य सूचनाएँ

कार्यालय, परिसमापक, सहकारी संस्थाएँ, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश

इन्दौर, दिनांक 14 नवम्बर 2024

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज के नियम, 1962 के उपनियम 57(1)(सी/ग) के अंतर्गत]

क्र.-परिसमापन-2024-Q.-कार्यालय, उपपंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला इन्दौर के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटीज अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत निम्न सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाई जाकर धारा 70(1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है :—

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक व दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1	कल्पतरु साख सहकारी संस्था मर्या., इंदौर	11/5.9.2013	2210/31.3.2023
2	सौरम साख सहकारी संस्था मर्या., इंदौर	17/5.9.2013	2210/31.3.2023
3	कुशवाह नगर साख सहकारी संस्था मर्या., इंदौर	41/5.9.2013	2052/31.3.2023
4	जनरक्षा साख सहकारी संस्था मर्या., इंदौर	105/5.9.2013	2057/31.3.2023
5	जय बद्री विशाल साख सहकारी संस्था मर्या., इंदौर	165/5.9.2013	2058/31.3.2023
6	जयपुरी लोहार साख सहकारी संस्था मर्या., इंदौर	205/5.9.2013	2049/31.3.2023

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1962 के नियम 57(1)(सी/ग) के अन्तर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे समिति के विरुद्ध अपने समस्त दावों की इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दो माह के अन्दर मय-प्रमाण के मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित के दायित्वाधीन होंगे। यदि दो माह कि अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा। तदानुसार समिति की लेखा-पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत समझे जावेंगे तथा समिति के समस्त लेनदारी/देनदारी/अस्तियों का अंतिम रूप से निराकरण मेरे द्वारा कर दिया जावेगा।

अतः सूचना-पत्र आज दिनांक 14 नवम्बर 2024 को मेरे द्वारा जारी किया गया।

(G-834)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज के नियम, 1962 के उपनियम 57(1)(सी)/(ग) के अंतर्गत]

क्र.-परिसमापन-2024-Q.-कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला इन्दौर के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटीज अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत निम्न सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाई जाकर धारा 70(1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है :—

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक व दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1	जय माँ भारती साख सहकारी संस्था मर्या., इंदौर	232/5.9.2013	2054/31.3.2023
2	जय माँ भवानी साख सहकारी संस्था मर्या., इंदौर	233/5.9.2013	2051/31.3.2023
3	जन सेवा साख सहकारी संस्था मर्या., इंदौर	272/5.9.2013	2055/31.3.2023

अतः, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 के नियम 57(1)(सी/ग) के अन्तर्गत के उक्त सहकारी संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे समिति के विरुद्ध अपने समस्त दावों की इस सूचना—पत्र के प्रकाशन के दो माह के अन्दर मय—प्रमाण के मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित के दायित्वाधीन होंगे। यदि दो माह कि अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा। तदानुसार समिति की लेखा—पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विद्युत प्रस्तुत समझे जावेंगे तथा समिति के समस्त लेनदारी/देनदारी/अस्तियों का अंतिम रूप से निराकरण मेरे द्वारा कर दिया जावेगा।

अतः सूचना—पत्र आज दिनांक 14 नवम्बर 2024 को मेरे द्वारा जारी किया गया।

(G-835)

कविता चावला, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक।

इन्दौर, दिनांक 11 फरवरी 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज के नियम, 1962 के उपनियम 57(1)(सी)/(ग) के अंतर्गत]

क्र.—परिसमापन—2025.—कार्यालय, उप—पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला इन्दौर के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटीज अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत निम्न सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाई जाकर धारा 70(1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है :—

क्र. (1)	संस्था का नाम (2)	पंजीयन क्रमांक/दिनांक (3)	परिसमापन का संशोधित आदेश क्रमांक व दिनांक (4)
1	बुनकर सह. संस्था मर्या., गवली पलासिया	397/29.3.1956	क्र./परि./2024/1844 दि. 3.6.2024
2	प्राथमिक वृक्ष सहकारी संस्था मर्या., चिकली	1095/9.9.1991	क्र./परि./2024/1785 दि. 3.6.2024
3	प्राथमिक वृक्ष साक सह.संस्था मर्या., तिल्लौरखुर्द	1094/9.9.1991	क्र./परि./2024/1784 दि. 3.6.2024
4	प्राथमिक वृक्ष सहकारी संस्था मर्या., भगौरा	1104/17.9.1991	क्र./परि./2024/1783 दि. 3.6.2024
5	प्राथमिक वृक्ष सहकारी संस्था मर्या., आम्बाचंदन	1103/17.9.1991	क्र./परि./2024/1782 दि. 3.6.2024
6	प्राथमिक वृक्ष सहकारी संस्था मर्या., जामखुर्द	1102/17.9.1991	क्र./परि./2024/1781 दि. 3.6.2024
7	प्राथमिक वृक्ष सहकारी संस्था मर्या., पेड़मी	1101/17.9.1991	क्र./परि./2024/1780 दि. 3.6.2024
8	प्राथमिक वृक्ष सहकारी संस्था मर्या., बंसीपिपरी	1100/17.9.1991	क्र./परि./2024/1779 दि. 3.6.2024
9	प्राथमिक वृक्ष सहकारी संस्था मर्या., कम्पैल	1099/17.9.1991	क्र./परि./2024/1778 दि. 3.6.2024
10	प्राथमिक वृक्ष सहकारी संस्था मर्या., काजरोह	1098/9.9.1991	क्र./परि./2024/1777 दि. 3.6.2024
11	प्राथमिक वृक्ष सहकारी संस्था मर्या., तिल्लौर बुजुर्ग	1097/9.9.1991	क्र./परि./2024/1776 दि. 3.6.2024
12	प्राथमिक वृक्ष सहकारी संस्था मर्या., काली बिल्लौद	1096/9.9.1991	क्र./परि./2024/1775 दि. 3.6.2024

अतः, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 के नियम 57(1)(सी/ग) के अन्तर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के समस्त दस्तावेजों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे समिति के विरुद्ध अपने समस्त दावों की इस सूचना—पत्र के प्रकाशन के दो माह के अन्दर मय—प्रमाण के मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी

भी लाभ के बंटवारे से वंचित के दायित्वाधीन होंगे। यदि दो माह कि अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा। तदानुसार समिति की लेखा-पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत समझे जावेंगे तथा समिति के समस्त लेनदारी/देनदारी/अस्तियों का अंतिम रूप से निराकरण मेरे द्वारा कर दिया जावेगा।

अतः सूचना—पत्र आज दिनांक 11 फरवरी 2025 को मेरे द्वारा जारी किया गया है।

(G-836)

के.के. जमरे, परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.

इन्दौर, दिनांक 10 जनवरी 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज के नियम, 1962 के उपनियम 57(1)(सी)/(ग) के अंतर्गत]

क्र.—परिसमापन—2025—Q.—कार्यालय, उप—पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला इन्दौर के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटीज अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत निम्न सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाई जाकर धारा 70(1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है :—

क्र. (1)	संस्था का नाम (2)	पंजीयन क्रमांक/दिनांक (3)	परिसमापन का आदेश क्रमांक व दिनांक (4)
1	प्रियंका गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इंदौर	787/4.1.2000	4054/29.8.2017
2	श्री पोरवाल गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इंदौर	791/8.4.2000	4054/29.8.2017
3	श्रीकांत गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इंदौर	810/6.2.2001	4054/29.8.2017
4	केशव गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इंदौर	913/24.7.2003	4054/29.8.2017
5	राजनन्दिनी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इंदौर	952/19.1.2004	4054/29.8.2017
6	श्री प्रियंका गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इंदौर	971/16.5.2004	4054/29.8.2017
7	आदर्श गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इंदौर	125/26.3.1959	702/25.2.2022

अतः, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 के नियम 57(1)(सी/ग) के अन्तर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के समस्त दस्तावेजों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे समिति के विरुद्ध अपने समस्त दावों की इस सूचना—पत्र के प्रकाशन के दो माह के अन्दर मय—प्रमाण के मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित के दायित्वाधीन होंगे। यदि दो माह कि अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा। तदानुसार समिति की लेखा-पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत समझे जावेंगे तथा समिति के समस्त लेनदारी/देनदारी/अस्तियों का अंतिम रूप से निराकरण मेरे द्वारा कर दिया जावेगा।

अतः सूचना—पत्र आज दिनांक 10 जनवरी 2025 को मेरे द्वारा जारी किया गया है।

(G-837)

एच.पी. गोयल, परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.

इंदौर, दिनांक 3 फरवरी 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी के नियम, 1962 के उपनियम 57(1)(सी)/(ग) के अंतर्गत]

क्र.-परिसमापन-2025-Q.-कार्यालय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला इंदौर के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटीज अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत निम्न सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाई जाकर धारा 70(1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन का संशो. आ.क्र. व दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री बैरवा सह. साख संस्था मर्या., नेहरू नगर, इंदौर	1070/16.9.1991	1835/3.6.2024
2	म.प्र. कर्म., सह. साख संस्था मर्या., इंदौर	464/12.6.1974	1834/3.6.2024
3	एकता साख सह. संस्था मर्या., पाटनीपुरा, इंदौर	250/9.5.2013	1833/3.6.2024
4	बजरंग नगर सह. साख संस्था मर्या., इंदौर	249/9.5.2013	1832/3.6.2024
5	अरण्य जनकार्य सह. साख संस्था इंदौर	244/9.5.2013	1831/3.6.2024
6	अभिनंदन सह. साख संस्था मर्या., इंदौर	239/9.5.2013	1830/3.6.2024
7	श्री केशवानन्द सह. साख संस्था मर्या., इंदौर	237/9.5.2013	1829/3.6.2024
8	सदभावना सह. साख संस्था मर्या., इंदौर	1742/10.10.1995	2093/14.6.2024
9	त्रिवेणी साख सह. संस्था मर्या., गोमा की फेल, इंदौर	1197/16.2.1994	2092/14.6.2024
10	श्रीनाथ सह. साख संस्था मर्या., इंदौर	1734/8.5.1995	2091/14.6.2024
11	श्री कृष्ण सह. साख संस्था मर्या., इंदौर	407/21.2.1973	2090/14.6.2024

अतः, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1962 के नियम 57(1)(सी/ग) के अन्तर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के समस्त सदस्यों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे समिति के विरुद्ध अपने दावों की इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दो माह के अन्दर मय-प्रमाण के मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारण किसी भी लाभ के बंतवारे से वंचित के दायित्वाधीन होंगे। यदि दो माह कि अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा। तदानुसार समिति की लेखा-पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत समझे जावेंगे तथा समिति के समस्त लेनदारी/देनदारी/अस्तियों का अंतिम रूप से निराकरण मेरे द्वारा कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 3 फरवरी 2025 को मेरे द्वारा जारी किया गया है।

(G-838)

डी.पी. खरिया, परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश

कारण बताओ सूचना-पत्र

सीहोर, दिनांक 15 जनवरी 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत]

क्रमांक-परिसमापन-2025-68.— मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2)(क) के अनुसार रजिस्ट्रार स्वप्रेरणा से किसी सोसाइटी का परिसमापन किये जाने का निर्देश देते हुए आदेश कर सकेगा जहाँ उस सोसाइटी ने अपने रजिस्ट्रीकरण के युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारंभ नहीं किया हो अथवा जहाँ उस सोसाइटी ने कार्य करना बंद कर दिया हो।

दुर्घ उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, पटेलपुरा लोरांसखुर्द, तहसील आष्टा, जिला सीहोर का पंजीयन क्र. 1427 तथा दिनांक 18 मई 2009 है। संस्था प्रशासक द्वारा प्रस्तुत पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा संस्था के निर्वाचन हेतु संस्था सचिव एवं संस्था पर्यवेक्षक से सम्पर्क किया गया। संस्था पर्यवेक्षक द्वारा लिखित में सूचित किया गया है कि संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील होकर बंद है। संस्था सचिव द्वारा संस्था को चालू करने में रुचि नहीं ली जा रही है, जिसके कारण संस्था का निर्वाचन कराया जाना संभव नहीं है।

संस्था पर्यवेक्षक द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है। अतः इस प्रकार दुर्घ उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, पटेलपुरा लोरांसखुर्द, तहसील आष्टा, जिला सीहोर ने कार्य करना बंद कर दिया है तथा संस्था का निर्वाचन न कराकर प्रबंध की शर्तों का अनुपालन करना बंद कर दिया गया है। अतः इस सहकारी समिति में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69-2 (क) एवं धारा 69-2 (ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है। इस कारण इस सहकारी समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः, मैं, सुधीर कैथवास, सहायक रजिस्ट्रार एवं प्रभारी उप रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएँ, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के तहत दुर्घ उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, पटेलपुरा लोरांसखुर्द, तहसील आष्टा, जिला सीहोर का पंजीयन क्र. 1427 तथा दिनांक 18 मई 2009 को परिसमापन में लाये जाने संबंधी प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए दुर्घ उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, पटेलपुरा लोरांसखुर्द, तहसील आष्टा, जिला सीहोर का पंजीयन क्र. 1427 तथा दिनांक 18 मई 2009 को 03 सप्ताह का समय प्रदान करता हूँ, यह सहकारी संस्था 3 सप्ताह में इस कारण बताओ सूचना-पत्र का सप्रमाण उत्तर प्रस्तुत करें।

निर्धारित समय अवधि में उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में अथवा प्राप्त उत्तर संतोषजनक न पाये जाने की स्थिति में परिसमापन की प्रस्तावित कार्यवाही की जायेगी।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 15 जनवरी 2025 को जारी किया गया।

(G-839)

सुधीर कैथवास, सहायक पंजीयक एवं प्रभारी उप पंजीयक

कार्यालय, उप अंकेक्षक एवं परिसमापक, सहकारी संस्थाएँ, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश

सीहोर, दिनांक 4 फरवरी 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 सी के अंतर्गत]

क्र.—परिसमापन—2025—क्यू.— उप—पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला सीहोर द्वारा निम्न सहकारी संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है। संस्थाओं का विवरण इस प्रकार है :—

क्र.	संस्था का नाम	तहसील	पंजीयन क्रमांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	दुर्घ उत्पा. सह. समिति मर्या., काहीरी जदीद	सीहोर	1358/3.2.2007	600/10.5.2023
2	दुर्घ उत्पा. सह. समिति मर्या., कानराखेड़ी	आष्टा	1045/19.1.2019	19/5.1.2024
3	दुर्घ उत्पा. सह. समिति मर्या., गजखेड़ा	जावर	1495/17.8.2010	19/5.1.2024
4	दुर्घ उत्पा. सह. समिति मर्या., बरखेड़ा देवा	श्यामपुर	1706/9.5.2013	1242/6.9.2023
5	दुर्घ उत्पा. सह. समिति मर्या., आमलामज्जू	आष्टा	774/18.2.1980	1382/6.10.2023
6	दुर्घ उत्पा. सह. समिति मर्या., दरखेड़ा	आष्टा	717/16.7.1976	211/20.2.2024
7	दुर्घ उत्पा. सह. समिति मर्या., मुरावर	जावर	967/9.11.1989	213/20.2.2024
8	दुर्घ उत्पा. सह. समिति मर्या., थूनाखुर्द	सीहोर	1762/14.3.2014	861/9.6.2023
9	उपकार बुनकर सह.स. मर्या., लंगापुरा आष्टा	आष्टा	1329/28.1.2006	209/20.2.2024

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10	मछुआ सह. संस्था मर्या., फूडरा	फूडरा	1195/13.9.2002	19/5.1.2024
11	सामूहिक कृषि सह. संस्था मर्या., गेरुखान	सीहोर	175/14.6.1981	600/10.5.2023
12	दुर्घ उत्पा. सह. समिति मर्या., कजलास	जावर	1086/30.6.1996	1598/20.12.2023
13	दुर्घ उत्पादक सह. संस्था मर्या., चीचली	रेहटी	1778/10.7.2014	871/8.10.2021
14	दुर्घ उत्पादक सह. संस्था मर्या., कोठरा	रेहटी	1273/23.1.2004	19/5.1.2024
15	दुर्घ उत्पादक सह. संस्था मर्या., जीवापुर महोड़िया	जावर	1710/5.8.2013	94/27.1.2025

अतः, मैं, विनय शर्मा, उप अंकेक्षक, सहकारी संस्थाएँ, जिला सीहोर एवं उक्त संस्थाओं का परिसमापन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत यह सूचना प्रकाशित करता हूँ कि उक्त सहकारी संस्थाओं के प्रति कोई दावे या आपत्ति या रिकार्ड हो तो वे सूचना-पत्र जारी करने के दिनांक से दो माह की समयावधि में मुझे कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला सीहोर में मय-प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें, समयावधि पश्चात् प्राप्त दावे या आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा।

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्था के कर्मचारी सदस्य/सक्षम पदाधिकारी के पास कोई रिकार्ड परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे तत्काल मेरे पास जमा करावें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(G-840)

विनय शर्मा, उप अंकेक्षक एवं परिसमापक.

कार्यालय, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी समितियाँ, ग्वालियर, मध्यप्रदेश

ग्वालियर, दिनांक 27 जनवरी 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57-सी के अंतर्गत]

उप सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला ग्वालियर द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा 70(1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्ति किया गया है :—

क्र. (1)	नाम संस्था (2)	पंजीयक क्रमांक व दिनांक (3)	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक (4)
1	विद्या विहार गृह निर्माण सह. संस्था मर्या., ग्वालियर	712/9.3.1990	239/31.7.1996
2	बसंत विहार गृह निर्माण सह. संस्था मर्या., ग्वालियर	59/7.7.1975	334/13.2.1998
3	श्री सांई गृह निर्माण सह. संस्था मर्या., ग्वालियर	252/30.9.1996	1612/25.8.2009
4	करुणा गृह निर्माण सह. संस्था मर्या., ग्वालियर	192/4.8.1992	1614/25.8.2009
5	रविन्द्रनाथ टैगोर गृह निर्माण सह. संस्था मर्या., ग्वालियर	01/19.8.1959	1924/15.10.2015
6	मधुवन गृह निर्माण सह. संस्था मर्या., ग्वालियर	133/27.3.1987	1946/19.10.2015
7	दीप्ति गृह निर्माण सह. संस्था मर्या., ग्वालियर	44/15.9.1959	1142/31.3.2016

सहकारी अधिनियम की धारा 71(1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्था की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्ठित हो गई हैं। अतः, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57(सी) के अन्तर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय-प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखित रूप से मेरे कार्यालय, उप/सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएँ, जिला ग्वालियर में कार्यालयीन में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे, समयावधि उपरान्त उनके कोई दावे एवं आपत्तियाँ मान्य नहीं होगा तथा संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध दायित्व रवयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यदि उक्त संस्था के अभिलेख या आस्तियां, डेड स्टाक संस्था का रिकार्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपे, यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियाँ या अभिलेख एवं डेड स्टाक नहीं सौंपे गये हैं तो संबंधित के विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जबाबदारी संबंधित की रहेगी.

यदि उक्त संस्था के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्यकाल मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु.

अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर समक्ष अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी.

यह सूचना—पत्र आज दिनांक 27 जनवरी 2025 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(G-841)

दिनेश सिंह यादव, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

ग्वालियर, दिनांक 27 जनवरी 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57—सी के अंतर्गत]

उप/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला ग्वालियर द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा 70(1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्ति किया गया है :—

क्र.	नाम संस्था	पंजीयक क्रमांक व दिनांक	परिसमापन क्रमांक व दिनांक	आदेश
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	प्रतिरक्षा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर	170/19.3.1990	333/13.2.1998	
2	रचना गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर	75/3.8.1979	1493/14.9.1994	
3	एम.आई.टी.एस. गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर	201/1.9.1993	1317/16.7.1997	
4	दुध संघ गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर	188/6.2.1992	1315/16.7.1997	
5	शांति निकेतन गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर	116/16.9.1988	1652/3.9.1997	
6	साईनाथ गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर	214/25.4.1994	117/14.7.1996	

सहकारी अधिनियम की धारा 71(1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्था की समस्त आस्तियां परिसमापक में वैष्ठित हो गई हैं। अतः, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57(सी) के अन्तर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना—पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय—प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखित रूप से मेरे कार्यालय, उप/सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर में कार्यालयीन में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे, समयावधि उपरान्त उनके कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होगा तथा संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यदि उक्त संस्था के अभिलेख या आस्तियां, डेड स्टाक संस्था का रिकार्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपे, यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियाँ या अभिलेख एवं डेड स्टाक नहीं सौंपे गये हैं तो संबंधित के विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जबाबदारी संबंधित की रहेगी।

यदि उक्त संस्था के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्यकाल मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु।

अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर समक्ष अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी।

यह सूचना—पत्र आज दिनांक 27 जनवरी 2025 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(G-842)

पूनम तोमर, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

ग्वालियर, दिनांक 27 जनवरी 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57-सी के अंतर्गत]

क्र.-परि.-2025-क्यू.-उप/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला ग्वालियर द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा 70(1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्ति किया गया है:-

क्र. (1)	नाम संस्था (2)	पंजीयन क्रमांक व दिनांक (3)	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक (4)
		पंजीयन क्रमांक व दिनांक (3)	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक (4)
1	सिंध कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर	171/9-3-1990	1111/26-7-2013
2	महाराजा अजमीण गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर	183/20-11-1991	1944/19-10-2015
3	डाकतार गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर	53/20-4-1997	1615/25-8-2009
4	विश्वकर्मा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर	77/7-9-1979	2467/24-11-2012
5	हरिओम गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर	358/27-9-2023	719/23-5-2013
6	गालव गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर	146/1-4-1989	1943/19-10-2015
7	त्रिमूर्ति गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर	97/31-12-1991	1942/19-10-2015
8	महिला गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर	234/2-11-1995	1957/20-10-2015
9	राज गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर	110/3-12-1993	1128/31-3-2016
10	बलदेव गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर	80/5-4-1980	1138/31-3-2016
11	राम कृष्ण गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर	95/25-11-1981	709/25-3-2017
12	संस्कृति गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर	357/29-9-2003	729/25-3-2017

सहकारी अधिनियम की धारा 71(1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्था की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्ठित हो गई हैं। अतः, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57(सी) के अन्तर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय-प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखित रूप से मेरे कार्यालय, उप/सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएँ, जिला ग्वालियर में कार्यालयीन में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंतवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे, समयावधि उपरान्त उनके कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होगा तथा संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यदि उक्त संस्था के अभिलेख या आस्तियां, डेड स्टाक संस्था का रिकार्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपें, यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियाँ या अभिलेख एवं डेड स्टाक नहीं सौंपे गये हैं तो संबंधित के विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जबावदारी संबंधित की रहेगी।

यदि उक्त संस्था के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्यकाल मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु।

अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर समक्ष अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जनवरी 2025 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

ग्वालियर, दिनांक 31 जनवरी 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57-सी के अंतर्गत]

क्र.परि.-2025.— उप/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला ग्वालियर द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा 70(1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्ति किया गया है :—

क्र. (1)	नाम संस्था (2)	पंजीयक क्रमांक व दिनांक (3)	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक (4)
		पंजीयक क्रमांक व दिनांक (3)	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक (4)
1	ग्वालियर दूर संचार गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर	180/9-2-1991	239/31-7-1996
2	जय त्रिमूर्ति गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर	153/12-5-1989	239/31-7-1996
3	भारतेन्दु गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर	181/16-9-1991	239/31-7-1996
4	दिशा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर	303/2-3-2002	1613/25-8-2009
5	अर्पित गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर	312/20-9-2002	629/29-3-2008
6	नव सर्वोदय गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर	315/17-10-2002	1137/31-3-2016
7	आनंद देव हरिजन गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर	44/15-9-1959	1142/31-3-2016

सहकारी अधिनियम की धारा 71(1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्था की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेचित हो गई हैं। अतः, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57(सी) के अन्तर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय-प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखित रूप से मेरे कार्यालय, उप/सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंतवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे, समयावधि उपरान्त उनके कोई दावे एवं आपत्तियां मात्र नहीं होंगा तथा संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यदि उक्त संस्था के अभिलेख या आस्तियां, डेड स्टाक संस्था का रिकार्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपे, यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियाँ या अभिलेख एवं डेड स्टाक नहीं सौंपे गये हैं तो संबंधित के विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जबावदारी संबंधित की रहेगी।

यदि उक्त संस्था के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्यकाल मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु।

अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर समक्ष अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 31 जनवरी 2025 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(G-844)

आर.डी. पचौरिया, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 9]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 28 फरवरी 2025—फाल्गुन 9, शक 1946

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

(कुछ नहीं)